प्रेस-विज्ञप्ति

दीव समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की हुई बैठक

दीव 10 अगस्त, 2020 : दीव समाहर्तालय के सभागार में आज दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय की अध्यक्षता में दीव के लीड बैंक एवं अन्य बैंकों के अधिकारी, मैनेजर एवं प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लाभान्वितों को ऋण सुविधा मुहैया कराये जाने के विषय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दीव के उप-समाहर्ता एवं दीव नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरमिंदर सिंह भी उपस्थित रहे।

ध्यातव्य है कि रेहड़ी, पटरी, ठेले या सड़क के किनारे दुकान चलाने वालों को सरलता से एवं सस्ता लोन मिल सके इसके लिए भारत सरकार ने स्व-निधि लोन स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य रेहड़ी-पटरी या सड़क के किनारे छोटी दुकान चलानेवाले दुकानदारों को सस्ता ऋण मुहैया कराना है, ताकि वे सुदखोरों की चुंगल से मुक्त होकर अपना व्यापार सरलता से कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

विदित हो कि कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक चले लॉकडाउन से छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति में इनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन से उत्पन्न आजीविका की समस्याओं के निस्तारण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर समस्त भारतवासी को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में कई पहल किये गये हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की शुरूआत की गई है। स्ट्रीट वेंडरों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में यह एक ठोस एवं कारगर कदम साबित हो सकता है। इसी वर्ष 1 जून को केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। इसके तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले या सड़क के किनारे दुकान लगाकर छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने वालों को ऋण दिया जाता है, ताकि वे मुनाफाखोरों की चंगुल में न फसें और अपनी आय एवं धन को लूटने से बचा सकें। प्रति वर्ष सुदखोरों की चंगुल में फंसकर कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। इस लोन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए न तो किसी गारंटी की जरूरत है और न किसी गारंटर की। यह बैंक द्वारा आवेदन के आधार पर दिया जाने वाला लोन है, जिससे छोटे दुकानदारों को व्यापार करने में मदद मिलेगी।

दीव जिला प्रशासन ने इस योजना की दीव में वर्तमान स्थिति और उसको प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इस योजना के तहत प्रथम चरण में प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकार करते हुए आवेदकों को लोन दिये जाने पर मुहर लगायी गयी। आनेवाले समय में बैंकों के माध्यम से अन्य लाभार्थियों को भी इससे लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।